**न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस0सी0,एस0टी0ऐक्ट)/**
**अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं02,उन्नाव।**

उपस्थितः— आनन्द कुमार,
(उच्चतर न्यायिक सेवा)

**J.O. Code Number:– U.P–5938**

परिवाद संख्याः—420/2020

राम भरोसे बनाम कमलेश आदि

दिनॉकः— 4—6—2022

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रस्तुत।

परिवादी राम भरोसे द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र के अनुसार घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनॉक 24—7—2020 को समय लगभग 7:30 बजे शाम, परिवादी राम भरोसे सब्जी बेचकर कूटी खेड़ा मजरा लऊवा की बाजार से आ रहा था। शिवराज खेड़ा, मटेहना ग्राम के मध्य नाले पर जैसे ही परिवादी पहुॅचा तो पहले से बैठे विपक्षीगण शत्रुहन, कमलेश पुत्रगण कुशेहर व अखिलेश पुत्र भगवती ने परिवादी को देखते ही मॉ—बहन की गन्दी—गन्दी गालियॉ देने लगे और अखिलेश ने परिवादी को जाति सूचक गन्दी गालियॉ देते हुए रूकने को कहा। इतने में कमलेश ने परिवादी की जेब में पड़े रूपये छीन लिये और शत्रुहन ने पैन्ट की जेब में हाथ डालकर पड़े सारे सिक्के निकाल लिये तथा परिवादी के साथ मार—पीट भी की।

परिवादी ने थाना मौरॉवा व पुलिस अधीक्षक उन्नाव को प्रार्थना पत्र दिया परन्तु उसकी रिपोर्ट नही लिखी गयी।

परिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का बयान अन्तर्गत धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित कराया गया है तथा धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पी0डब्लू01 राणा प्रताप सिंह, पी0डब्लू02 कल्लू को परीक्षित कराया गया है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परिवादी ने अपने बयान में कथन किया है कि दिनॉक 24—7—2020 को समय शाम लगभग साढे सात बजे, अपनी सब्जी बेचकर कूटी खेड़ा मजरे लउवा की बाजार से अपने घर लौट रहा था। शिवराज खेड़ा मटेहना गॉव के बीच जैसे ही मै पहुॅचा तो पहले से घात लगाये बैठे विपक्षीगण शत्रुघन, कमलेश, मुझे देखते ही मॉ—बहन की गालियॉ देना शुरू कर दिया। अखिलेश ने मुझसे कहा कि रूक मादरचोद पासी सारा रूपया दे दो। इतने में कमलेश ने मेरी कमीज की जेब में पड़े रूपये छीन लिये और शत्रुघन ने पैंट की जब से सारे सिक्के निकाल लिए। मै चिल्लाया। राहगीरो ने आवाज दी, घबराओ नही हम आ गये। शत्रुघन ने मेरे

कमर में लात मारकर गिरा दिया। मै मुॅह भरा गिरा। कुछ संभल पाता कि कमलेश व अखिलेश ने लातो से मारना शुरू कर दिया। एलानिया कहते जा रहे थे कि साले पासी तेरी जान लूॅगा। राहगीर राणा प्रताप सिंह, व कल्लू तथा बहुत सारे राहगीर आ गये जिन्होने बीच–बचाव किया।

धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पी0डब्लू01 राणा प्रताप सिंह, पी0डब्लू02 कल्लू परीक्षित हुए है जिन्होने भी परिवादी के बयानो का समर्थन किया है।

इस प्रकार विपक्षीगण कमलेश, शत्रुहन व अखिलेश द्वारा परिवादी राम भरोसे को, जब वह सब्जी बेचकर घर वापस आ रहा था, तभी उसे रोककर जाति सूचक गन्दी–गन्दी गालियॉ देना, मार–पीटकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित करना व जान से मारने की धमकी देने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध है। अतः विपक्षीगण कमलेश, शत्रुहन व अखिलेश धारा 323, 504, 506, भारतीय दण्ड संहिता व 3(1)द, ध अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत, अपराध में तलब किये जाने योग्य है।

## आदेश

अभियुक्तगण कमलेश, शत्रुहन व अखिलेश को धारा 323, 504, 506, भारतीय दण्ड संहिता व 3(1)द, ध अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अपराध में तलब किया जाता है। परिवादी तलबी हेतु पैरवी एक सप्ताह के अन्दर करे, पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनॉक 20–7–2022 को पेश हो।

(आनन्द कुमार)
विशेष न्यायाधीश(एस0सी0,एस0टी0ऐक्ट) /
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं02,उन्नाव।